




छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : SM-PRO-2018-00196

रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध एच.आर. बिल्डर्स द्वारा भागीदार श्री शंकर गुप्ता, रायपुर
प्रोजेक्ट- एच.आर. टॉवर, रायपुरा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
18/01/2019	<p>– प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>– प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अनावेदक को उसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "एच.आर.टॉवर" के रेरा में रजिस्ट्रेशन न कराने के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं उक्त प्रोजेक्ट के रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने अविलंब आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। अनावेदक का कथन है कि उसके द्वारा प्राधिकरण के आदेशानुसार उक्त प्रोजेक्ट के रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका आवेदन क्रमांक-1046 है। चूंकि प्रश्नाधीन प्रकरण में अनावेदक द्वारा उसके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "एच.आर. टॉवर" के रेरा में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः प्रकरण में पृथक किसी कार्यवाही की आवश्यकता न होने के कारण, प्रकरण समाप्त करते हुए निराकृत किया जाता है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर </div> <div style="text-align: center;">  (राजेंद्र कुमार टट्टा) सदस्य भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  (विवेक दांड) अध्यक्ष भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर </div>	

